

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा-प्रारं/नियु.प्रको./नियु-2/982/अध्यापक-भर्ती /लेवल-द्वितीय /पात्रता/दस्ता.सत्या./2023 / दिनांक:17/07/2023

-::अभ्यर्थियों के लिये विस्तृत दिशा-निर्देश ::-

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2022 में NTSP तथा TSP क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा अन्तर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के लिए प्रारम्भिक पात्रता जांच के सम्बन्ध में निम्नानुसार दिशा-निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:-

1. उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती-2022 अन्तर्गत NTSP तथा TSP क्षेत्र हेतु सामान्य शिक्षा/विशेष शिक्षा अन्तर्गत अध्यापक लेवल द्वितीय के पदों पर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर पात्रता जांच हेतु पदवार/विषयवार दो गुण अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध किया गया है। इस सूची में नाम आ जाने मात्र से कोई अभ्यर्थी चयन/नियुक्ति का अधिकारी नहीं होगा। पंचायती राज नियम-1996, 13/2022 दिनांक 16.12.2022 तथा बोर्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र पाये जाने पर अभ्यर्थी के नाम पर अन्तिम चयन हेतु विचार किया जायेगा।
2. अभ्यर्थियों की पात्रता जांच सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक व स्थान पर अभ्यर्थी के व्यक्तितः उपस्थित होने पर शालादर्पण पोर्टल के [https://rajshaladarpan.nic.in/staff selection](https://rajshaladarpan.nic.in/staff_selection) मॉड्यूल के माध्यम से किया जायेगा। पंचायती राज नियम 277 (क) के अनुसार पात्रता के संबंध में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (प्राधिकरण अभिकरण) का विनिश्चय अंतिम होगा।
3. अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन स्थान एवं दिनांक की जानकारी, उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल व ईमेल आईडी पर प्रेषित की जाएगी। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी शाला दर्पण पोर्टल पर भी स्थान, दिनांक एवं समय की जानकारी प्राप्त कर सकता है, इस हेतु अभ्यर्थी को शालादर्पण मॉड्यूल https://rajshaladarpan.nic.in/staff_selection पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 जुलाई 2023 को प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगी। इसके संबंध में FAQ, यूजर मेनूएल लिखित रूप में उक्त पोर्टल पर उपलब्ध हैं।
4. अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गये Mobile Number तथा E-Mail पते पर SMS व E-Mail के माध्यम से आवश्यक सूचनाएँ प्रेषित की जायेंगी, अतः समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इन्हें निरन्तर चैक करें एवं प्रेषित निर्देशों की पालना करें। अभ्यर्थी के Mobile Number व E-Mail बन्द होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन करते समय गलत मोबाइल नंबर प्रविष्ट कर दिये गए हैं तो निदेशालय में उपस्थित होकर मोबाइल परिवर्तित करवा सकते हैं।
5. दस्तावेज सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा दस्तावेज सत्यापन/पात्रता जांच हेतु https://rajshaladarpan.nic.in/staff_selection पोर्टल पर दिनांक एवं स्थान का निर्धारण किया जायेगा जो सम्बन्धित अभ्यर्थी की लॉगिन में प्रदर्शित होगा। सूचीबद्ध किये गये सभी अभ्यर्थी शालादर्पण पोर्टल पर प्रतिदिन लॉगिन आई.डी. से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन की दिनांक एवं समय के सम्बन्ध में अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करते रहे।
6. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया, आवेदन में अंकित गृह जिले अथवा नजदीक के जिले में किया जाएगा, राज्य से बाहर के समस्त अभ्यर्थियों के दस्तावेज जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर द्वारा निर्धारित स्थान व दिनांक को किया जाएगा। किसी अभ्यर्थी का एक से अधिक पद पर सूचीबद्ध होने पर उसकी प्रार्थना पर उसका एक ही दिन में दस्तावेज सत्यापन करवाया जा सकेगा, इस हेतु अभ्यर्थी को प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों के पृथक-पृथक सेट प्रस्तुत करने होंगे।
7. दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र, विस्तृत आवेदन सह परीनिरीक्षा प्रपत्र, शैक्षिक व प्रशैक्षिक योग्यता,मूल निवास, सम्बन्धित वर्ग प्रमाण पत्र (OBC/EWS/MBC/SC/ST/SAH), विशेष श्रेणी (विधवा/परित्यक्ता/भूतपूर्व सैनिक/उत्कृष्ट खिलाड़ी/ दिव्यांग) का सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र, स्वधोषणा पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्र को स्वःप्रमाणित करते हुए संलग्न चैकलिस्ट को भरकर 02 सैट में वांछित मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, मूल दस्तावेजों के अभाव में किसी अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
8. अभ्यर्थी को संलग्न चैकलिस्ट में उल्लेखित दस्तावेजों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियां क्रमानुसार व्यवस्थित कर चैकलिस्ट सहित दस्तावेज सत्यापन दल को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी को चैकलिस्ट व समस्त प्रकार की स्वधोषणाएं मूल ही प्रस्तुत करनी अनिवार्य होगी।

9. एक से अधिक पदों के लिए सूचीबद्ध अभ्यर्थी को प्रत्येक पद के लिए पृथक—पृथक स्वप्रमाणित सैट तैयार कर सत्यापन दल का देना होगा एवं प्रत्येक पद हेतु दस्तावेजों की प्रारम्भिक जांच करायेगा, यदि अभ्यर्थी 01 पद हेतु पात्रता जांच कराता है व अन्य पद/पदों हेतु पात्रता की जांच नहीं करवाता है तो अन्तिम चयन के समय केवल उस पद हेतु विचार किया जायेगा जिस पद हेतु पात्रता जांच करवाई गई है।
10. जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को दस्तावेजों की पात्रता जांच में अनुपस्थित रहने पर अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार रहेगा।
11. यदि कोई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु अपूर्ण/अधूरे दस्तावेजों सहित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा निर्धारित दिनांक को उपस्थित होता है, तो उसे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जायेगा। सत्यापन दल द्वारा लगाये गये आक्षेप पूर्ति हेतु सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा पुनः निर्धारित की गई दिनांक में ही उसको दस्तावेजों की पात्रता जांच करवानी होगी, उक्त निर्धारित दिनांक के उपरान्त अभ्यर्थी को बाद में दस्तावेज सत्यापन हेतु कोई अवसर नहीं दिया जायेगा।
12. अभ्यर्थी को दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए किसी भी प्रकार का किराया भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 13-अभ्यर्थी को किसी प्रकार की सूचना/मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो, दस्तावेज सत्यापन के लिए निर्धारित अवधि के कार्य दिवसों में प्रातः 09:30 बजे से सायं 06:00 बजे तक सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक शिक्षा के द्वारा स्थापित कन्ट्रोल रूम के दूरभाष पर सम्पर्क कर सकते हैं। कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नम्बर बोर्ड की वेबसाईट एवं शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी आवश्यक होने पर निदेशालय प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर/शालादर्पण प्रकोष्ठ जयपुर में गठित कंट्रोल रूम पर निम्नानुसार संपर्क कर सकते हैं –

पोर्टल पर पंजीकरण संबंधी समस्या हेतु	दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया में समस्या/शंका समाधान हेतु
0141-2700872, 9773342610	9773342608, 9773342609

पंचापा/23
 (काना राम)
 IAS
 निदेशक
 प्रारम्भिक शिक्षा एवं पं.राज (प्राशि)
 राजस्थान, बीकानेर

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती—2022

अध्यापक, लेवल द्वितीय (सामान्य/विशेष शिक्षा) हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना (जो लागू उस पर टिक करें)	
दस्तावेज सत्यापन का जिला:-	पद :—अध्यापक लेवल द्वितीय
.....	विषय..... (सामान्य/विशेष शिक्षा)
अभ्यर्थी के रोल नम्बर :-.....	विशेष शिक्षा होने परः— एम.आर./वी.आई./एच.आई. श्रेणी
क्षेत्र :—अनुसूचित/गैर अनुसूचित	आधार क्रमांक :-
आवेदन क्रमांक :-	पिता का नाम :-
अभ्यर्थी का नाम :-	जन्मतिथि :-
माता का नाम :-	वर्ग / श्रेणी :—अनारक्षित/ओ.बी.सी./ई.डब्लू.एस./एम.बी.सी./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/सहरिया (जो श्रेणी हो टिक करें) विशेष श्रेणी :— विधवा/परित्यक्ता/उत्कृष्ट खिलाड़ी/भूतपूर्व सैनिक/दिव्यांग (जो विशेष श्रेणी हो टिक करें)
लिंग :-	जमा आवेदन शुल्क की राशि :-
12th परीक्षा का माध्यम	ENGLISH / HINDI / OTHER () MEDIUM
स्नातक परीक्षा का माध्यम	ENGLISH / HINDI / OTHER () MEDIUM

चैक लिस्ट— भाग प्रथम

क्र. सं.	दस्तावेज/प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ	सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
			कृ. इ. नं. संख्या	कृ. इ. नं. संख्या	कृ. इ. नं. संख्या
1	ऑनलाईन आवेदन की प्रति			मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हां/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाईन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य का विवरण
2	विस्तृत आवेदन की प्रति				
3	आधार कार्ड की प्रति				
4	माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति।				
5	उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति।				
6	स्नातक/समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों/सेमेस्टर की अंकतालिका तथा उपाधि की प्रति।				
7	स्नातक/समकक्ष परीक्षा के पूर्णांकः— प्राप्तांकः— प्रतिशतः—				
8	स्नातक परीक्षा में एच्छिक विषय 1..... 2..... 3.....				

क्र.सं.	दस्तावेज़/प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ		सत्यापन दल के उपयोगार्थ	
		क्र.सं. हानि संख्या	क्र.सं. हानि संख्या/ रुपयोगार्थ (रु.)	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हाँ/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य का विवरण
9	स्नातकोत्तर /समकक्ष परीक्षा के समस्त वर्षों/सेमेस्टर की अंकतालिका तथा उपाधि की प्रति।				
10	स्नातकोत्तर /समकक्ष परीक्षा के पूर्णांक:- प्राप्तांक:- प्रतिशत:-				
11	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा-2022 के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।				
12	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण लेवल प्रथम / लेवल द्वितीय / दोनों स्तर में				
13	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय के प्राप्तांक ----- प्रतिशत-----				
14	राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल द्वितीय में के विषय - 1. भाषा प्रथम----- 2. भाषा द्वितीय----- 3. सामाजिक अध्ययन / विज्ञान और गणित				
15	विज्ञित के अनुसार प्रशैक्षिक योग्यता:- डी.एल.एड./बी.एल.एड./बी.एड./बीएड-एमएड_(सामान्य शिक्षा / विशेष शिक्षा)				
16	प्रशैक्षिक योग्यता में प्रवेश तिथि :-				
17	विशेष शिक्षा के पद हेतु भारतीय पुर्नवास परिषद (RCI) से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र				
18	मूल निवास प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति।				
19	अनुसूचित क्षेत्र में सदभावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र (केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए)				
20	आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी Income & Asset Certificate				
21	जाति प्रमाण-पत्र (अन्य पिछ़ड़ा वर्ग, अति पिछ़ड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सहरिया आदिम जाति। नोट :- अन्य पिछ़ड़ा वर्ग, अति पिछ़ड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र हो।				

क्र.सं.	दस्तावेज/प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ			सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		कृ. हाँ/ हाँ	कृ. हाँ/ हाँ	कृ. हाँ/ हाँ	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हाँ/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य का विवरण	लघु हस्ताक्षर
22	आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र होने पर कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 17.10.2022 के अनुसार शपथ पत्र						
23	आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों (महिला तथा पुरुष) से इस आशय की स्वधोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है						
24	विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वधोषणा एवं पति की मृत्यु के प्रमाण—पत्र की प्रमाणित प्रति, पति से लिंक दस्तावेज/ साक्ष्य की प्रति व आज दिनांक तक पुर्नविवाह नहीं करने सम्बन्धी स्वधोषणा ।						
25	विवाह विच्छिन/परित्यक्ता (तलाकशुदा) होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह—विच्छेद की डिक्री की प्रमाणित प्रति व आज दिनांक तक पुर्नविवाह नहीं करने का सम्बन्धी स्वधोषणा						
26	सन्तान संबंधी स्व घोषणा						
27	विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने सम्बन्धी स्वधोषणा						
28	भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवा निवृति/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र ।						
29	भूतपूर्व सैनिक श्रेणी मे पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा						
30	उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर नियमानुसार सक्षम स्तर से जारी खेल प्रमाण पत्र ।						
31	दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम— 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निःशक्तता का प्रमाण पत्र ।						
32	आपराधिक प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफ.आई.आर.,माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति ।						
33	राजकीय सेवा/उपक्रम मे कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापति प्रमाण पत्र या इस संबंध में अभ्यर्थी का स्व-सत्यापन ।						

क्र.सं.	दस्तावेज़/प्रमाण पत्र	अभ्यर्थी के उपयोगार्थ			सत्यापन दल के उपयोगार्थ		
		कृ. हाँ/ नहीं/ जुड़ा	कृ. हाँ/ नहीं/ जुड़ा	कृ. हाँ/ नहीं/ जुड़ा	मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया (हाँ/नहीं)	यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन में भरी गई सूचना में अन्तर होने तथा अन्य का विवरण	लघु हस्ताक्षर
34	आवेदन में 2.5 लाख रु. से कम आय की सूचना भरी है, उस सम्बन्ध में <u>अभ्यर्थी का स्व-सत्यापित आय प्रमाण पत्र</u> ।						
35	शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में स्व घोषणा						
36	अभ्यर्थी के अन्तिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण—पत्र एवं दो राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र						
कुल योग							

नोट:-—समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चैक लिस्ट के साथ सलग्न करें। जो दस्तावेज लागू नहीं हैं उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें।

स्थान :.....
दिनांक :.....

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
नाम :
पता :

मोबाईल नम्बर :.....

अभ्यर्थी के द्वारा स्व-सत्यापन

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति श्री उम्र..... जाति.....
.....निवासी..... व्यवसाय..... सत्यापन करता/करती हूँ कि उक्तानुसार प्रस्तुत समस्त दस्तावेज एवं प्रमाण पत्र मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। तथ्यों में किसी प्रकार की भिन्नता के लिये मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी एवं विभाग मेरे विरुद्ध कार्यवाही कर सकेगा।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

स्वघोषणा—पत्र

उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती—2022 अन्तर्गत जारी विज्ञप्ति संख्या—13/2022 दिनांक: 16.12.2022 के तहत अनुसूचित / गैर अनुसूचित में अध्यापक, लेवल द्वितीय विषय: सामान्य / विशेष शिक्षा (एम.आर./वी.आई./एच.आई. श्रेणी) के पद पर विभाग द्वारा दिनांक: को दस्तावेज सत्यापन/पात्रता जॉच हेतु जारी शॉर्ट लिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची में मेरा नाम समिलित है, मैं यह स्वघोषणा करता/करती हूँ कि :—

1. मैं स्वयं तथा मेरे पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है।
2. उक्त भर्ती अन्तर्गत विधावा/विवाह विच्छिन्न—परित्यक्ता श्रेणी से ऑनलाईन आवेदन क्रमांक. भरा है, मेरे द्वारा आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किया गया है।
3. मेरे दिनांक: 01.06.2002 को या इसके पश्चात् संतानों की संख्या निम्नानुसार है:—

1	दिनांक: 01.06.2002 तक जीवित सन्तानों की संख्या	
2	दिनांक: 01.06.2002 के पश्चात् सन्तानों की संख्या	
कुल सन्तानों की संख्या		
i	क्या दिनांक: 01.06.2002 या इससे पूर्व जन्मा बालक दिव्यांग है (हाँ/नहीं)	
ii	क्या आप द्वारा प्रसव पश्चात् किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया है (हाँ/नहीं)	
iii	क्या आप द्वारा किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया है (हाँ/नहीं)	

4. दहेज नहीं लेने सम्बन्धी स्वघोषणा:—

- I. मेरे द्वारा विवाह के समय दहेज की मांग नहीं की गई है तथा नहीं लिया/दिया गया है।
- II. मैं वर्तमान में अविवाहित हूँ तथा भविष्य में विवाह के समय मेरे द्वारा न तो दहेज की मांग की जाएगी और न ही दहेज लिया जाएगा।

5. भूतपूर्व सैनिक के सम्बन्ध में स्वघोषणा:—

- I. मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया गया है।
- II. मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त किया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

1	विभाग का नाम	
2	पदनाम व पे—मैट्रिक्स लेवल	
3	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	
4	वर्तमान पदस्थापन स्थान	

6. मेरे द्वारा ऑनलाईन आवेदन में तथा प्रस्तुत शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण—पत्र/उपाधियां, भारत सरकार/राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थानों/विश्वविद्यालयों/बोर्ड आदि से प्राप्त की गई है, यदि मेरी शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यताओं के प्रमाण—पत्र/उपाधियां अप्रमाणित पाई जाती हैं अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से जारी नहीं की हुई पाई जाती है अथवा अन्य कारणों से मान्य नहीं होने पर, इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी तथा विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेगा।
7. मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण विचाराधीन/लम्बित नहीं है तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।
8. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ की मैं धुम्रपान नहीं करूँगा/करूँगी।
9. मैं शपथ लेता हूँ/लेतु हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ की भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूँगा/रखूँगी, मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा/रखूँगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूँगा/करूँगी। (अतः इश्वर मेरी सहायता करे)
10. मेरे विरुद्ध आपराधिक प्रकरण विचाराधीन/लम्बित है तथा पूर्व में भी मेरे विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरण दर्ज हुवे हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:—

स्थान:—

दिनांक:—

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:—

नाम:—

आवेदन संख्या:—

रोल नंबर -----

स्व—सत्यापन

मैं पुत्र/पुत्री श्री उम्र जाति निवासी सत्यापन करता / करती हूँ कि उक्त स्वघोषणा—पत्र में अंकित सभी कथन मेरी जानकारी एवं निष्ठा के अनुसार सही एवं सत्य हैं। इसमें मैंने कोई भी तथ्य नहीं छिपाया है। यदि मेरी उक्त घोषणा मिथ्या पाई जाती है अथवा कोई तथ्य छुपाया जाना पाया जाता है तो इसके कारण विभाग मुझे अपात्र घोषित कर सकता है।

हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम:—

सादे कागज पर टाइप करें। जो लागू हो उसको भरे तथा लम्बित/निर्णित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें।

दस्तावेज सत्यापन जांच दल की टिप्पणी

अभ्यर्थी पुत्र/पुत्री श्री के दस्तावेजों/प्रमाण
पत्रों का मूल से मिलान किया गया एवं निम्नानुसार स्थिति पाई गई:-
1. अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों का मिलान किया गया एवं दस्तावेज सही पाये गये। (हां/नहीं).....
2. यदि नहीं तो अभ्यर्थी के दस्तावेजों के मिलान उपरान्त भिन्नता का पूर्ण विवरण :-
.....
.....
.....
.....
.....

प्रभारी हस्ताक्षर :-

नामः—

पदनामः—

मूल पदस्थापन स्थानः—

सदस्य हस्ताक्षर :-

सदस्य हस्ताक्षर :-

नामः—

पदनामः—

मूल पदस्थापन स्थानः—

नामः—

पदनामः—

मूल पदस्थापन स्थानः—